संपादकीय

उदासीनता के चलते लक्ष्य अधूरे

देश की निचली अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या घटाने के इरादे से सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं। इसके अंतर्गत लोक अदालत, त्वरित अदालत, सांध्य अदालत और ग्राम अदालत जैसे कई प्रयोग किये गये। सरकार ने ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर ही न्याय सुलभ कराने के इरादे से नौ साल पहले ग्राम न्यायालय कानून, 2009 लागू किया था। इस कानून के तहत पांच हजार से अधिक ग्राम अदालतों की स्थापना की कल्पना की गयी थी लेकिन इस दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी।

ऐसा लगता है कि न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों पर नियुक्ति यों के प्रति उदासीनता की तरह ही ग्राम न्यायालय स्थापित करने में भी राज्यों की दिलचस्पी नहीं है। देश के 29 राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों में से अभी तक सिर्फ 11 राज्यों में केवल 343 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया जाना है लेकिन इनमें से भी सिर्फ नौ राज्यों में 210 ग्राम न्यायालय ही काम कर रहे हैं।

नौ साल पहले महात्मा गांधी के जन्म दिन पर लागू की गयी ग्राम न्यायालय योजना राज्यों की उदासीनता और केन्द्र सरकार से अपेक्षित वित्तीय सहायता के अभाव में सिसकियां भर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विवादों को गांव की सीमा में सुलझाने का यह प्रयास भले ही सराहनीय हो लेकिन इसके लिये केन्द्र से आर्थिक मदद मिलने के बावजूद राज्य सरकारों का इनके प्रति उदासीन रवैया लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के प्रति उनकी नीयत को ही दर्शाता है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के एक पत्र के अनुसार ग्राम न्यायालय स्थापित करने और उनके परिचालन की योजना 14वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान 31 मार्च, 2020 तक जारी रहेगी। इस पत्र में स्पष्ट किया गया था कि इस योजना हेतु दिसंबर, 2009 के केन्द्रीय सहायता संबंधी सामान्य दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार ने ग्राम न्यायालय स्थापित करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रति ग्राम न्यायालय 18 लाख रुपए, कार्यालय भवन हेतु दस लाख रुपए, वाहन हेतु पांच लाख रुपए और कार्यालय की साज-सज्जा हेतु तीन लाख रुपए प्रदान करने की योजना बनाई थी। इस कानून का उद्देश्य नागरिकों को उनके घर तक न्याय पहुंचाने के लिये ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना था।

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 89, राजस्थान में 45, ओडिशा में 14, महाराष्ट्र में 24, पंजाब के 22 जिलों में एक तथा हरियाणा के 21 जिलों में दो, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 104 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया गया था लेकिन इनमें से केवल चार और केरल में 30 ग्राम न्यायालय ही कार्यरत हैं। महाराष्ट्र में इन ग्राम न्यायालयों ने 12423 मामलों का निपटारा किया जबकि केरल ने इनमें 25018 मामलों का निपटारा किया है। जहां तक इस योजना के लिये वित्तीय सहायता का सवाल है तो केन्द्र के 2017-18 के बजट के दौरान आठ करोड़ रुपए सहित अब 52.60 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं लेकिन इस योजना के अंतर्गत धीमी प्रगति हो रही है।

इस स्थिति के मद्देनजर संसदीय समिति ने ग्राम न्यायालय योजना को अधिक प्रभावकारी बनाने पर जोर देते हुए इनके लिये ज्यादा केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की है। समिति महसूस करती है कि यद्यपि ग्राम न्यायालयों ने वादों के त्वरित निपटारे अथवा गरीबों के लिये इसे कम खर्चीला न्याय प्रदान करने के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं की है लेकिन ठोस, सुनियोजित तथा निरंतर प्रयास करके इसे हासिल किया जा सकता है।

समिति ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि केन्द्र सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों से नियमित रूप से अपने यहां ग्राम न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध करती रही है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से ग्राम न्यायालय योजना के अंतर्गत ग्राम न्यायालय की स्थापना करने और उनके संचालन के लिये वित्तीय सहायता मांगने का भी अनुरोध किया है।

ग्राम न्यायालयों की धीमी प्रगति के कारणों पर अप्रैल 2012 में विधि एवं गृह सचिवों तथा उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल की बैठक में चर्चा के दौरान सामने आया एक कारण तो अपेक्षित वित्तीय सहायता नहीं मिलना भी रहा। इसके अलावा अन्य कारणों में ग्राम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने में पुलिस अधिकारियों तथा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की अनिच्छा, नोटरी और स्टाम्प वि ेताओं की अनुपलब्धता और इससे भी अधिक नियमित अदालतों के समान अधिकारी क्षेत्र की समस्या भी सामने रखी थी।

उम्मीद की जानी चाहिए कि कर्ज और सूदखोरों के जंजाल में फंसे किसानों, खेतीबाड़ी और ऐसे ही अन्य विवादों के गांव में ही समाधान के लिये राज्य सरकारें अधिक गंभीरता से नये ग्राम न्यायालयों की स्थापना करेंगी।

वैश्वीकरण को अलविदा कहने का वक्त

हमने नब्बे के दशक में विश्व व्यापार संधि पर दस्तखत करके वैश्वीकरण को अपनाया था। उस समय सोच थी कि विकसित देशों द्वारा आयात कर घटाने से हमारे माल के निर्यात के अवसर बढ़ेंगे, विशेषकर हमारे कृषि उत्पादों के, जिससे हमारे किसानों को लाभ होगा। यह भी सोचा गया था कि वैश्वीकरण को अपनाने से हमें विदेशी निवेश भारी मात्रा में मिलेगा। विदेशी कम्पनियां भारत में फैक्टरियां लगायेंगी, हमें नई तकनीकें मिलेंगी और आर्थिक विकास चल निकलेगा। नब्बे के दशक से अब तक हम इसी नीति को लागू करते आये हैं। लेकिन परिणाम सामान्य रहे हैं। विशेषकर मोदी सरकार के पिछले चार साल में आर्थिक विकास दर 6 से 7 प्रतिशत की दर पर टिकी हुई है जो हमारी पहले की दर से कुछ नीचे ही है। हमारे निर्यात घट रहे हैं और आयात बढ़ रहे हैं। विदेशी निवेश भी शिथिल है। इस प्रकार वैश्वीकरण के मूल उद्देश्यों की पूर्ति होती नहीं दिख रही है।

जमीनी स्तर पर लोगों से बात करने पर पता चलता है कि सरकारी कर्मियों का भ्रष्टाचार पहले से बढ़ा है। लेकिन इनके द्वारा न तो सोना खरीदा जा रहा है और न ही प्रॉपर्टी में निवेश किया जा रहा है। एक सम्भावना है कि भ्रष्टाचार की रकम जो पूर्व

में सोने की प्रॉपर्टी में लग गयी थी, अब विदेश जा रही है। इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने चिंता जताई थी कि भारत की पूंजी बाहर जा रही है। इस प्रकार भ्रष्टाचार तथा निजी पूंजी की रकम दोनों ही बाहर जा रही हैं। वैश्वीकरण का उद्देश्य था कि हमें विदेशी पूंजी मिलेगी लेकिन इसके उलट हमारी ही पूंजी बाहर जा रही है। अतः वैश्वीकरण के मूल सिद्धांत पर पुनः विचार करने का अवसर हमारे सामने उपलब्ध है।

वैश्वीकरण के सिद्धांत की शुरुआत अस्सी के दशक में विश्व बैंक ने दक्षिण के सन्दर्भ में की थी। वहां पाया गया था कि दक्षिण अमेरिकी देशों के नेता अति भ्रष्ट थे। वे बाजार से ऋण उठाकर सरकार के राजस्व में वृद्धि कर रहे थे लेकिन उस रकम का उपयोग देश का विकास करने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत स्विस बैंक के खातों में स्थानान्तरित कर रहे थे। विश्व बैंक ने उस परिस्थिति में सुझाव दिया कि दक्षिण अमेरिकी देशों को ऋण न दिया जाए क्योंकि ऋण से मिली हुई रकम इनके नेता रिसाव कर रहे थे। इसके स्थान पर विश्व बैंक ने कहा कि इन देशों को कहा जाए कि वे ऋण लेना बंद करें, अपने वित्तीय घाटे को घटाएं, जिससे कि उनकी मुद्रा स्थिर हो और विदेशी निवेशकों का उनकी सरकार पर भरोसा बने।

ऐसा करने से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उनके देश में निवेश करने को उद्यत होंगी। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किये गए निवेश का उनके नेताओं द्वारा रिसाव करना सम्भव नहीं होगा क्योंकि यह रकम कम्पनियों के नियंत्रण में रहेगी और वे लाभ कमाने के लिए इसका निवेश फैक्टरी आदि लगाने में करेंगी। विश्व बैंक ने सोचा था कि दक्षिण अमेरिका के देशों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी, निवेश बढ़ेगा और आर्थिक विकास बढ़ेगा।

इसी मंत्र को भारत द्वारा पिछले दो दशक में लागू किया गया है। इसी पॉलिसी को लागू करने के लिए वित्त मंत्री वित्तीय घाटे को नियन्त्रण में रख रहे हैं।

चारित्रिक सुंदरता

एक संत की कुटिया के पास एक वेश्या रहती थी जो प्रतिदिन कुटिया के पास से गुजरती और संत से पूछती-बाबा! तेरी दाढ़ी के सफेद बाल और मेरी कुतिया की सफेद पूंछ में कौन सुंदर है, मेरी कुतिया की सफेद पूंछ या कि तेरी दाढ़ी के सफेद बाल? संत बोलता-हां बेटी! समय आने पर जरूर बताऊंगा। एक दिन मरणासन्न संत ने अपने भक्तों से कहा-उस वेश्या को बुलाओ जो प्रतिदिन कुटिया के पास से गुजरती है। भक्तजनों को वेश्या का बुलाया जाना बुरा भी लगा और विस्मयकारी भी। वेश्या को बुलाया गया। संत ने वेश्या से कहा-बेटी, तेरी कुतिया की सफेद पूंछ से मेरी दाढ़ी के सफेद बाल कई गुना सुंदर हैं। वेश्या झुंझलाई, बोली-बाबा! सिर्फ यही बताना था, तो यह बहुत पहले ही बता सकते थे। संत ने समझाया-बेटी, दाग लगने से डरता था, लेकिन आज मैं संसार से सदा के लिए जा रहा हूं और वह भी निश्कलंक। वेश्या की आंखों से आंसू टपक पड़े क्योंकि वह बखूबी जानती थी कि संत के समक्ष एक वेश्या का जीवन कितना मायने रखता था!

मिलावट के विरुद्ध

खान-पान की चीजों में मिलावट रोकने के लिए सरकार एक सख्त कानून लाने की तैयारी में है। खाद्य सुरक्षा कानून में वह कुछ बड़े बदलाव चाहती है। इसके तहत मिलावटखोरों को उम्रकैद की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

इसके लिए प्रस्तावित मसौदे पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने जनता और संबंधित पक्षों से राय मांगी है। लेकिन महज सख्त कानून बना देने से मिलावट की समस्या सुलझ जाएगी, इसे खुद में एक खामखयाली ही कहा जाएगा। कानून अभी भी बहुत कमजोर नहीं हैं, लेकिन उनका अनुपालन कहां होता है? गौर से देखें तो मिलावट को लेकर भी वही माइंडसेट काम कर रहा है जो रेप के मामले में दिखता है- उम्रकैद या फांसी से कम कुछ भी नहीं! लेकिन सारा जोश बातों में ही दिखाया जाता है और दोषी को सजा दिलाने से पहले ही व्यवस्था के हाथ-पैर ढीले हो जाते हैं। उम्मीद करें कि खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार वही गलती नहीं दोहराएगी। सचाई यह है कि मिलावट करने वालों को न तो कानून का भय है, न किसी की जान की परवाह।

हर साल दिवाली के मौके पर खबर आती है कि अमुक जगह छापेमारी में टनों नकली मावा जब्त किया गया। पर ऐसा करने वालों को सजा क्या मिली, ऐसी कोई खबर कभी सुनने में नहीं आती। कुछ महीने पहले आई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट इस मामले में एक भयानक तस्वीर पेश करती है। इसके मुताबिक एफएसएसएआई में लापरवाही का आलम यह है कि होटलों-रेस्तरांओं या भोजन व्यवसाय से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए लाइसेंस देते वक्त जरूरी दस्तावेज जमा कराने की औपचारिकता भी पूरी नहीं की जाती। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हानिकारक और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को स्वीकृति दे दी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक एफएसएसएआई के अधिकारी जिन 72 प्रयोगशालाओं में जांच के लिए नमूने भेजते हैं, उनमें से 65 के पास आधिकारिक मान्यता भी नहीं है।

सीएजी ऑडिट के दौरान जिन 16 प्रयोगशालाओं की जांच की गई उनमें से 15 में योग्य खाद्य विश्लेषक भी नहीं थे। विकसित देशों में उपभोक्ता आंदोलन काफी मजबूत है इसलिए मिलावट को लेकर वहां काफी कठोरता बरती जाती है।

एर्दोआन की चुनौती

पिछले 15 सालों से तुर्की की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति रेचेप तईप एर्दोआन अगले कुछ सालों तक सत्ता में बने रहेंगे। जस्टिस एंड डिवेलपमेंट पार्टी के एर्दोआन ने दोबारा राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के मुहर्रम इन्स को परास्त कर दिया है। अपनी पार्टी की कमजोर स्थिति एर्दोआन को पहले से पता थी, लिहाजा वे गठबंधन में गए। इस गठबंधन की ताकत से ही राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 52.5 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। 31.7 प्रतिशत मत मुहर्रम इन्स को मिले हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति बनते ही आपातकाल हटाने का वादा किया था। इससे आगे, संसदीय चुनाव के नतीजे आने अभी बाकी हैं, जहां अपने गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिलाना एर्दोआन के लिए शायद उतना आसान न हो, जितना समय से पहले चुनाव कराते वक्त उन्होंने सोचा होगा।

पूरब-पश्चिम का पुल माने जाने वाले इस देश की जनता में इतना तीखा विभाजन पहली बार ही देखने को मिला है।

राजनीतिक नौटंकी साबित हुआ केजरीवाल का धरना

दिल्ली की आप सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल , उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं कुछ मंत्रियों द्वारा उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना दिया गया। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जब यह तल्ख टिप्पणी की कि किसी के कार्यालय या घर मे धरना नही दिया जा सकता,तभी यह अनुमान लगाए जाने लगे कि यह धरना ज्यादा दिन तक नही चलने वाला। आखिरकार 9वे दिन इसे समाप्त करने की घोषणा उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को करनी पड़ी। अब सरकार के सभी मंत्रियों ने पुनः अपना काम शुरू कर दिया है।

सरकार के इस फैसले से सर्वाधिक राहत दिल्ली की जनता को मिली जिसने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर राजनीतिक सुचिता में रहकर कर काम करने के लिए चुना था,लेकिन आप के अभी तक के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी देखने को नही मिला है ,जिससे यह लगे कि यह पार्टी कुछ अलग कर दिखाएगी। अपनी असफलता को छुपाने के लिए अभी तक एक ही बहाने का सहारा लिया है कि राज्य के उच्चाधिकारी विशेष रूप से आईएएस अधिकारी उनके साथ सहयोग नही कर रहे है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसी मांग के साथ धरना प्रारंभ किया था कि दिल्ली में तीन माह से जारी आईएएस अधिकारियों की हड़ताल समाप्त कराए जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को खत लिखा। उन्होंने उपराज्यपाल पर भी आरोप लगाए कि वे आप सरकार की अपील पर ध्यान नही दे रहे है। मामले को लेकर आप ने दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और प्रधानमंत्री आवास तक कार्यकर्ताओ द्वारा मार्च भी निकाला गया।उधर दिल्ली विधानसभा में मात्र तीन सदस्यों वाली विरोधी पार्टी भाजपा ने भी मुख्यमंत्री कार्यालय में धरना दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में चल रहे जल संकट एवं भयावह हो रहे प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जब ठोस कदम उठाने की जरूरत है,तब मुख्यमंत्री धरने पर बैठे है। इसका खामियाजा सीधे सीधे जनता को उठाना पड़ रहा है।

बाजारी विरह वेदना का 'मिस यू'

'कतई विरह वेदना से ओतप्रोत मैसेज आया-मिस यू।' बंदा पचास के आसपास हो, शादी को बीस साल से ऊपर हो चुके हों, तब पत्नी भी यह मैसेज भेज दे कि मिस यू, तो लगता है कि मौज ली जा रही है। और यह मैसेज तो पत्नी का भी नहीं था। मिस यू बहुत दिनों से नहीं आये-टाइप मैसेज पिज्जा कंपनी का था। मैसेज का आशय था कि हे प्रिय तुम ना आये, बहुत दिन हो गये। तुम्हारी राह तकते-तकते हम परेशान हो लिये। प्लीज मिलने का मौका दो न। तुम्हारे इंतजार में-पिज्जा कंपनी।

पिज्जा कंपनी हमको मिस करती है। वैसे ईमान की बात यही है कि एक वक्त के बाद पिज्जा कंपनी, बीमा कंपनी, बैंक ही मिस करते हैं। बाकी कोई इतना फालतू न बैठा कि मिस करे। एक तरह से देखें तो ये मिस यू टाइप मैसेज कहीं न कहीं हर बंदे को उसकी वैल्यू का अहसास करा देते हैं। बंदे को याद-सी दिला देते हैं कि बिल्कुल ही एकदम फालतू टाइप न है तू, समाज में तेरी वैल्यू है। समाज के प्रति जिम्मेदारियां बनती हैं। प्रति सप्ताह दो-चार पिज्जा खाकर यह जिम्मेदारी निभा। हर महीने एक बीमा पालिसी लेकर अपने दायित्व पूरे कर।

बचपन वह वक्त होता है, जब बहुत लोग मिस करते हैं। पार्क में एक बच्चा रोज आता था, कोई जान-पहचान नहीं थी उससे। बहुत दिनों तक वह बच्चा न दिखा पार्क में। बहुत दिनों बाद वह बच्चा अपनी मां के साथ बाजार में दिखा, तो मैंने मां से ही पूछा-कहां चले गये आप लोग। यह बच्चा नहीं दिखा। मां चकरायमान, जान न पहचान, पर बच्चा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था तो मां आश्वस्त हो गयी कि मैं उसे कुछ बेचकर नहीं जाऊंगा। वरना तो जैसे ही कोई हंस कर तहजीब से बोलता है कि अगला टेंशन में आ जाता है कि जरूर कुछ बेच कर जायेगा।

मिस यू कह उठे कोई तो लगभग आतंक में आ जाता है कि अब तो अगला जरूर कुछ न कुछ टिका कर ही जायेगा। जवानी में बंदा इस कदर बिजी होता है कि उसके पास मिस करने की और मिस होने की फुर्सत न होती। पचास के पार जाकर समझ में आता है कि बेट्टे तुम्हारी औकात अब यह है कि हर महीने पहले हफ्ते में तमाम बिल लेने वाले ही मिस करते हैं तुम्हें। नातेदार, रिश्तेदार मिस नहीं करते।

राशिफल

मेष: राशि का स्वामी मंगल-सूर्य-चन्द्र की संगति में है। कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला आपको सीखनी पड़ेगी।

वृषभ: आज का दिन संतोष और शान्ति का है। राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। शासन व सत्ता से गठजोड़ का लाभ मिल सकता है। नये अनुबंधों के द्वारा पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

मिथुन: राशि स्वामी की व्यग्रता के कारण किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने का भय बना रहेगा। संतान की शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में अशातीत सफलता का समाचार मिलने से मन में हर्ष होगा। सांय काल में कोई रूका कार्य पूरा होगा।

कर्क: चन्द्रमा षष्ठम भाव में उत्तम संपत्ति का संकेत कर रहा है। आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। राज्य-मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा, देशाटन की स्थिति सुखद व लाभदायक रहेगी। सांयकाल से लेकर रात्रि तक प्रिय व्यक्ति यों का दर्शन व सुसमाचार मिलेगा।

सिंह: राशी का स्वामी सूर्य चार ग्रहों के बीच में आ गया है। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलाएगी। शिक्षा, प्रतियोगिता में विशेष सफलता मिलेगा।

कन्या: राशि स्वामी बुध भाग्य वृद्धि कर रहा हैं रोजगार व्यापार के क्षेत्र में जारी प्रयासों में अकल्पनीय सफलता प्राप्त होगी। दोपहर बाद किसी कानूनी विवाद या मुकदमों में जीत आपके लिए खुशी का कारण बन सकती है। कीर्ति की वृद्धि होगी।

तुला: आज आपके चारों ओर सुखद वातावरण रहेगा। कई दिनों से चली आ रही लेन-देन की कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में धन हाथ में आ जाने का सुख मिलेगा।

वृश्चिक: आपकी राशि पर शनि एवं द्वितीय चन्द्र योग अभी सात दिन और चलेगा। आज का दिन इस सबकी जांच कराने और किसी अच्छे डॉक्टर इस विषय में सलाह मशविरा करने में व्यतीत करें।

धनु: आज आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे। शासन सत्ता पक्ष से निकटता व गठजोड़ का लाभ भी मिलेगा। ससुराल पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन हाथ लग सकता है।

मकर: आज पारिवारिक व आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। आजीविका के क्षेत्र में चल रहे नए प्रयास फलीभूत होंगे। अधीनस्थ कर्मचारियों का आदर व सहयोग भी पर्याप्त मिलेगा।

कुंभ: आज आपके स्वास्थ्य सुख में व्यवधान आ सकता है। राशि का स्वामी शनि क्योंकि मार्गी उदय चल रहा है। अतः निर्मूल विवाद अकारण शत्रुपत्ति, अपनी बुद्धि द्वारा किये कार्यों में ही हानि और निराशा है।

मीन: आज का दिन पुत्र, पुत्री की चिंता तथा उनके कामों में व्यतीत होगा। आज लेन-देन न करें सम्बन्ध खराब होने का खतरा है। धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा और पुण्य कार्यों पर खर्चा हो सकता है। बृहस्पति का त्रिकोण योग मूल्यवान वस्तुएं चोरी करा सकता है।

फ्राइड राइस समोसा

कितने लोगों के लिए : 2

सामग्री :

2 कप मैदा, मोयन के लिए तेल, नमक और तलने के लिए तेल

फिलिंग के लिए : 1 कप उबले हुए चावल, 1 कप बारीक कटी सब्ज़ियां, 1 टेबलस्पून टमैटो सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, नमक, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया,

रिफाइंड ऑयल

विधि - पैन में तेल गर्म करें। इसमें सभी सब्ज़ियां डालकर हलका गलने तक पकाएं। फिर उसमें चावल और सभी तरह की सॉस डालें। तेज़ आंच पर सॉते करें। नमक मिलाकर चावल को 2 मिनट तक भूनें। आंच से उतार कर ठंडा करें और हरा धनिया मिलाएं।

मैदे में मोयन और नमक डालकर गूंधें। इससे तैयार लोइयों को बेल कर बीच में से काट लें। हर भाग में तैयार फाइड राइस की फिलिंग भरें और तिकोना मोड़कर पानी लगाकर बंद कर दें।

गर्म तेल में समोसों को तल लें। हरी चटनी के साथ सर्व करें।